वेबसाइट हेतु

म.प्र.लोक सेवा आयोग से वर्ष 2017 में चयनित चिकित्सकों की ऑनलाईन पदस्थापना हेतु पंजीयन/च्वॉइस फिलिंग सूचना एवं दिशा–निर्देश

–:: द्वितीय चरण ऑनलाइन पंजीकरण/च्वॉइस फिलिंग हेतु दिशा–निर्देश ::–

1.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन पंजीयन एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट (**www.mponline.gov.in**) अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से द्वितीय चरण का पंजीयन एवं च्वॉइस फिलिंग दिनांक 20.05.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 25.05.2017 (रात्रि 12:00) तक आयोजित की जाती है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
2.	लोक सेवा आयोग से चयनित (मुख्य सूची) ऐसे चिकित्सक जो किन्ही कारणों से ऑनलाईन पंजीयन नही करा सके वे च्वॉइस फिलिंग अवधि दिनांक 20.05.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 25.05.2017 (रात्रि 12:00) में पंजीयन एवं च्वॉइस फिलिंग एक साथ कर सकेगें। पंजीयन का समय अंतिम दिवस के संध्या 5:00 बजे तक होगी। अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
3.	चिकित्सकों को ऑनलाईन पंजीकरण एवं स्थान चयन (च्वॉइस फिलिंग) हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क को कोई भुगतान नही किया जाना है।
4.	शासकीय सेवा हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश विधान–सभा बजट सत्र–2017 मे माननीय वित्त मंत्री द्वारा व्यावसायिक अवरोध क्षतिपूरक भत्ते के प्रावधान की घोषणा की गई है, जो मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश जारी होने उपरांत सामान्य एवं अधिसूचित क्षेत्रों में पृथक–पृथक दिया जावेगा। सीमांक संस्थाओं में सेवा प्रदान करने वाले स्त्रीरोग, शिशुरोग एवं निश्चेतना योग्यताधारी स्नातकोत्तर चिकित्सकों को डिग्री हेतु अधिकतम रूपये 1,25,000/– एवं डिप्लोमा हेतु 1,00000/–प्रतिमाह वेतन–भत्ते का भुगतान किया जावेगा।
5.	सम्पूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर स्थान चयन करने के पश्चात् कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
6.	ऑनलाईन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये एम.पी.ऑनलाईन के हेल्प डेस्क नंबर 0755–4019400 पर संपर्क कर सकते हैं। सुविधा की द्रष्टि से एम.पी.ऑनलाईन की लिंक नीचे दी जा रही है।

आदेशानुसार
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश